प्रकरण कमांक निगरानी–150 PBR/16 धार

खारीज दिनांक 15/03/2016

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इन्दौर म.प्र.

नंदराम पिता सिद्धू, जाति भील, उम्र 40 वर्ष,

निवासी ग्राम मियापुरा तह. व जिला धार .... निगरानीकर्ता

बनाम

नाथु पिता सोमा, जाति भील, उम्र 50 वर्ष,

निवासी ग्राम मियापुरा तह. व जिला धार .... विपक्षी

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भु.रा.सं.

मान्यवर महोदय,

सेवा में प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह आवेदन–पत्र माननीय न्यायालय में प्रकरण में प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 15/03/2016 को निगरानीकर्ता का निगरानी प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त करने के विरुद्ध तथा प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत है :–

1. यह कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा एक निगरानी अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, नालछा के द्वारा पारीत अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसमें पेशी तारीख 15/03/2016 का सुचना–पत्र प्राप्त हुआ था उक्त सुचना–पत्र के अनुसार प्रार्थी को दिनांक 15/03/2016 को माननीय न्यायालय में उपस्थित होना था।

2. यह कि प्रार्थी दिनांक 15/03/2016 को माननीय न्यायालय में उसकी अस्वथता की वजह से उपस्थित नही हो सका और न अपने अभिभाषक को सूचित कर पाया प्रार्थी पेशी के 8 दिना पूर्व से ही बुखार आदि आने के कारण घर पर ही था ज्यादा तबियत खराब होने से तारीख पेशी का ध्यान नही रहा और अपने वकील साहब से संपर्क नही कर पाया। जिस वजह से प्रार्थी की अनुपस्थिति में पहली ही पेशी तारीख 15/03/2016 को माननीय न्यायालय ने उक्त निगरानी प्रकरण अदम पैरवी में खारीज कर दिया है।

....

Rसं० 9087-PBR/16 धारा

नंदराम / नाथू

17.8.2016	आवेदक की ओर से श्री अशोक चौहान अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपालिका का कारण समाधान-कारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है।	17-8-16
Reader	अध्यक्ष	

80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.